कार्यालय छावनी परिषद, झाँसी

छावनी क्षेत्र में व्यापार करने वालों के ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु सूचना।

झाँसी छावनी क्षेत्र में व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों/दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि जो भी व्यक्ति/व्यापारी/दुकानदार/स्थायी अथवा अस्थायी रूप से पोल्ट्री फर्म, चिकिन, भेड़ बकरी पालन, मीट, मछली, दूध, डेरी फार्म, दूध, दही, घी, पनीर के विक्रेता, ब्रेड, बिस्कुट, केक के निर्माता अथवा विक्रेता, सब्जी, फल, जूस, मिनरल वॉटर, ट्रीट वॉटर, आइसक्रीम आदि के निर्माता/विक्रेता, मेडिकल स्टोर अथवा किसी भी प्रकार की दवाईयां, जड़ी–बूटी, केमीकल्स, कीटनाशक दवाईयों के विक्रेता, शराब (आबकारी विभाग द्वारा प्रदत्त लाइसेंस धारक) विक्रेता, पीने के पानी के विक्रेता, वॉशर मैन (लॉण्ड्री), रंग रेज, कोयला, लकड़ी, घास–भूसा, कबाड़ शॉप, मिट्टी का तेल, पेट्रोल–डीजल, अन्य पेट्रोलियम पदार्थ, स्पिरिट एवं ज्वलनशील पदार्थ, अग्निशमन यन्त्रों, गन्ध आने वाले पदार्थों, गेहूँ, चावल, आटा, आटा चक्की, कोल्हू, दाल, गुड़, शक्कर एवं सभी प्रकार के अनाजों को खरीदने अथवा बेचने वाले, बारबर, शेविंग, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चाय–कॉफी, कोल्ड्रिंक, लस्सी, आइसक्रीम, चाट, मिठाई, रेस्टोरेन्ट, होटल, अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी इत्यादि के अतिरिक्त भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार जो भी व्यवसाय लाइसेंस की श्रेणी में आते हैं सभी को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 277 के अन्तर्गत ट्रेड लाईसेन्स लेना अनिवार्य है। अतः सभी व्यापारियों/दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024–25 के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने हेतु ऑन–लाइन आवेदन echhawani.gov.in या http://jhansi.cantt.gov.in के माध्यम से दिनांक 30.04.2024 तक कर सकते हैं। दिनांक 01.05.2024 से रू 1500/– विलम्ब शुल्क देय होगा तथा बिना लाइसेंस व्यवसाय करते पाये जाने पर छावनी अधिनियम, 2006 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। ऑन–लाइन लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय echhawani.gov.in या http://jhansi.cantt.gov.in की बेवसाईट पर ट्रेड लाइसेंस से संबंधित जानकारी ध्यान से पढ़कर आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, दस्तावेज अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सभी व्यापारियों/दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि ट्रेड लाइसेंस हेतु ऑटो नवीनीकरण सुविधा (Auto Renewal Facility) ट्रेड–लाईसेंस मॉड्यूल के अंतर्गत लागू कर दी गई है। अतः जिन व्यापारियों/दुकानदारों ने वर्ष 2023–24 में अपने लाइसेंस https://echhawani.gov.in/citizen/user/login के माध्यम से प्राप्त कर लिये थे उन सभी व्यापारियों/दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष 2024–25 के लिए अपने लाइसेंस का नवीनीकरण ऑटो नवीनीकरण सुविधा (Auto Renewal Facility) का उपयोग करके दिनांक 30.04.2024 तक प्राप्त कर सकते हैं तत्पश्चात् रू 1500/– विलम्ब शुल्क देय होगा तथा बिना लाइसेंस व्यवसाय करते पाये जाने पर छावनी अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।

पत्रांक/झांसी/रेवेन्यू/डी–18/2024040600001
कार्यालय छावनी परिषद, झांसी
दिनांकः 05 अप्रैल, 2024

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, झांसी